प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 00482/2019-2020 दिनांक 27/11/2019

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/SAH/01264/2019-2020 पत्रावली संख्या:1839-S दिनांक:1999-2000

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि खालसा एजूकेशनल सोसाइटी, पता- खालसा गार्डन, नवीन नगर, सहारनपुर, सहारनपुर , 247001 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 439/1999-2000 दिनांक-22/11/1999 को दिनांक-21/11/2019 से पाच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1000 रूपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(Paras Nath Gupta)

जारी करने का दिनांक-27/11/2019

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

2R

INDIA

दो रुपये

दो रुपये

सत्यमेव जयते

TWO RUPEES भारत TWO RUPEES

[illegible]

[illegible]

नियमावली

1- संस्था का नाम   खालसा एजूकेशनल सोसाइटी,

2- संस्था का पता   खालसा गार्डन, नवीन नगर, सहारनपुर

3- संस्था का कार्यक्षेत्र   समस्त उत्तरप्रदेश होगा ।

4- संस्था की सदस्यता-

1- संस्थापक सदस्य- स्मृतिपत्र में अंकित सभी सदस्य संस्थापक सदस्य कहलायेंगे ।

2- आजीवन सदस्य- जो भी अर्ह व्यक्ति, जो खालसा के सिद्धान्तों में विश्वास रखता हो, रू0 2001 देकर संस्था का आजीवन सदस्य बन सकता है । इसे वार्षिक शुल्क नहीं देना होगा । सदस्य केवल प्रबंध समिति की अनुमति से ही बनाये जा सकेंगे ।

3- प्रबंध समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति को आवश्यकतानुसार एक वर्ष के लिये समिति में विशेष आमंत्रित के रूप में रखा जा सकेगा । जिसको एक और वर्ष के लिये रखा जा सकेगा ।

5- अनर्हतायें-

1- दिवालिया होने पर। किसी राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा दंडित होने पर । पागल होने पर सदस्यता स्वयं समाप्त हो जायेगी ।

2- समिति के नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर, बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास कर सदस्यता समाप्त की जा सकेगी ।

6-सभा के अंग- इस सोसाइटी के दो अंग होगें - । साधारण सभा 2- प्रबंधसमिति

7- साधारण सभा- गठन, कोरम तथा कार्यप्रणाली-

सभी प्रकार के सदस्यों को मिला कर प्रबंधसमिति का गठन किया जायेगा । इसकी सदस्य संख्या पर प्रतिबंध नहीं होगा । सभा की बैठकों का कोरम कुल संख्या का 2/5 होगा । साधारण बैठक के लिये स दिन का तथा विशेष बैठक के लिये चार दिन की सूचना पर्याप्त होगी कोरम के अभाव में स्थगित बैठक में ही अगली तिथि तथा समय की घोषणा कर दी जायेगी । साधारण सभा की एक वार्षिक बैठक होगी । जिसमें संस्था का बजट पारित किया जायेगा तथा अन्य विष पर विचार किया जायेगा । इसी में आडिट रिपोर्ट पर कार्यवाही

Harjinder Manjeet सुरेन्द्र कौर मनजीत कौर Sundersingh Harneet Ranjit

की जायेगी । अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने या नियमावली में परिवर्तन करने हेतु कोरम कुल संख्या का 3/4 होगा । बैठक, अध्यक्ष के निर्देश पर प्रबंधक द्वारा बुलाई जायेगी । सभा द्वारा ही प्रबंध समिति का चुनाव कराया जायेगा । समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा । संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर सभा का पूर्ण अधिकार होगा । सभा ही सर्वाधिकारी संस्था होगी ।

8- प्रबंधसमिति- साधारण सभा के द्वारा प्रति पांच वर्ष पर प्रबंधसमिति का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा कराया जायेगा । समिति में पदाधिकारी सहित कुल 11 सदस्य होंगे । 1-अध्यक्ष, 2- उपाध्यक्ष, 3- प्रबंधक, 4- उपप्रबंधक तथा 5- कोषाध्यक्ष इनके अतिरिक्त 6 सदस्य होंगे ।

(1) कोरम तथा कार्यप्रणाली- समिति की बैठकों का कोरम 2/5 होगा । किन्तु अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने या नियमावली में परिवर्तन करने के लिये कोरम 3/4 होगा । साधारण बैठक तीन मास में एक बार तथा विशेष कभी भी हो सकती है । साधारण बैठक के लिये सात दिन तथा विशेष बैठक के लिये तीन दिन की सूचना पर्याप्त होगी । अध्यक्ष के निर्देश पर प्रबंधक द्वारा बैठक की सूचना जारी की जायेगी ।

9- समिति के अधिकार व कार्य- समिति के अधिकार व कार्य जहां तक नियमों से असंगत न हो, निम्न होंगे-

अ- संस्था का सुचारु रूप से प्रबंधक के माध्यम से संचालन करना ।

ब- वार्षिक बजट तैयार करना तथा उसी के अनुसार कार्य करना ।

स -सभा/समिति की चल=अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण रखना तथा संस्था हित में उपयोग करना ।

द- संस्था के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण करना तथा पालन कराना ।

10- पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य-

1- अध्यक्ष- समिति की बैठकों अध्यक्षता करना । समान मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना । उन सभी का उपयोग करना

Ravinder Sunder Singh Harpreet Ravinder Ranjeet

जो किसी नियम/विधि द्वारा उसको अधिकार दिये गये हों ।

2- उपाध्यक्ष- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके अधिकारों का प्रयोग करना, जो उसे लिखित में दिये गये हों ।

3- प्रबंधक- संस्था/समिति के लिये चन्दा, दान, अनुदान, शुल्क आदि एकत्र करना तथा किसी बैंक में जमा कर संस्था हित में उपयोग करना ।

2- कोषाध्यक्ष के सहयोग से बजट तैयार करना । बजट के अनुरूप संस्था हित में उपयोग कराना आडीटर से आडिट कराना ।

3- संस्था के कर्मचारियों की नियमानुसार नियुक्ति व अलहदगी करना ।

4- संस्था की सम्पत्ति से सम्बंधित प्रपत्रों/विलेखों तथा संविदा पर हस्ताक्षर करना ।

5- समस्त कानूनी कार्यवाहियों में संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना तथा प्रतिनिधित्व करना ।

6- समिति के निर्णयों को कार्यान्विा कराने के लिये उसके कार्यपालक के रूप में कार्य करना ।

7- ऐसे अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना, जो इस नियमावली तथा तत्समय प्रचलित हों अथवा किसी नियम या विधि द्वारा दिये गये हों या उन्हें करने के लिये अधिकृत हो ।

4- उपप्रबंधक- प्रबंधक की अनुपस्थिति में उसके कुछ या समस्त अधिकारों का प्रयोग करना, जो उसे लिखित दे रखें हों ।

5- कोषाध्यक्ष- प्रबंधक के साथ सभा/समिति का बजट तैयार कराना तथा वार्षिक बैठक में पारित कराना । सभा द्वारा नियुक्त आडीटर से संस्था का आडिट कराना तथा वार्षिक बैठक में प्रस्तुत कर, उस पर कार्यवाही कराना । चन्दा, दना, शुल्क आदि को खाते में जमा कराना तथा संचालन में प्रबंधक को सहयोग देना ।

11- संस्था के लेखों का संचालन प्रबंधक द्वारा, उसी के उत्तरदायित्व पर किया जायेगा तथा लेखा पंजिकायें, रोकड़बही आदि उसी के पास रहेगी ।

12- समस्त प्रकार के सभा/समिति पर विवादों के पत्रजातों पर हस्ताक्षर प्रबंधक द्वारा तथाप्रबंधक पर ही किये जायेंगे ।

inder Jeet सुरेन्द्र कौर ... Pihar Surder singh ... Harmeet ... Gurpreet Ravleen

13- इस नियमावली में कोई भी परिवर्तन, परिवर्द्धन एक्ट का धारा 12 के अनुसार कार्यवाही कर किया जायेगा ।

14- संस्था के विघटन पर, विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अनुसार कार्यवाही कर की जायेगी ।

दिनांक 17-11-97

सत्यप्रतिलिपि

स्मृतिपत्र

1- संस्था का नाम — खालसा एजूकेशनल सोसाइटी

2- संस्था का पता — खालसा गार्डन, नवीननगर, सहारनपुर

3- संस्था का कार्यक्षेत्र — समस्त उत्तरप्रदेश होगा ।

4- उद्देश्य-
1- सामाजिक रूप से सुदृढ़ स्वस्थ समाज का निर्माण करने हेतु शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन करना
2- समाज की उन्नति हेतुटाइप-कम्प्यूटर, खाद्यसंरक्षण हस्तकला, सिलाई-कढ़ाई केन्द्रों की स्थापना तथा संचालन ।
3- समस्त समाज की बिना भेदभाव सेवा सहायता करना । धार्मिक पर्वों पर सेवा कार्य करना । निर्धनों-जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना ।

5- संस्था के पदाधिकारियों तथा सदस्यों के नाम, पते तथा व्यवसाय, जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है ।

क्रमांक नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय	पद
1- स0 जसबीरसिंह बजाज	स0 सरदारसिंह	खालसागार्डन,सहारनपुर	व्यवसायी	अध्यक्ष
2- श्रीमती एस0 कौर	पत्नी स0 इकबालसिंह	पटेल नगर, सहारनपुर	,,	उपाध्यक्ष
3- स0 आर0एस0 गोगिया	स0 मोहरसिंह	गली माधोप्रसाद,गुरुद्वारा रोड़, सहारनपुर	दुकान	प्रबंधक
4- स0 गगनदीपसिंह	स0 इकबालसिंह	सुभाषनगर, सहारनपुर	दुकान	उपप्रबंधक
5-श्रीमती मनजीतकौर	श्री जे0सिंह	खालसा गार्डन, सहारनपुर	गृहणी	कोषाध्यक्ष
6-स0 सुंदरसिंह	स0 तेजसिंह	निकट कांग्रेस दफ्तर,गुरुद्वारा रोड़, सहारनपुर	दुकान	सदस्य
7- स0 एच0एस0बजाज	श्री एम0एस0बजाज	गुरुद्वारा रोड़, सहारनपुर	दुकान	सदस्य
8- स0 देवेन्द्रसिंह	स0 सतनामसिंह	न्यू बजाज ट्रांसपोर्ट,सहारनपुर	व्यवसायी	,,
9- स0 आर0डी0सिंह	स0 इकबालसिंह	पटेलनगर, सहारनपुर	,,	,,
10-स0 अमरीकसिंह	स0 महताबसिंह	सोढल, जालंधर	,,	,,
11- श्रीमती सुरेंद्र कौर	स0 एम0सिंह	सोढल , जालंधर	गृहणी	,,

Manjeet सुरेन्द्र कौर अमरीक सिंह, Sunder singh, देवेन्द्र, Harmeet

Jasbir ... Ravinder

2,...

6- हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता उपर्युक्त स्मृतिपत्र के आधार पर , सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, सन 1860 के अन्तर्गत एक संस्था का पंजीकरण कराना चाहते हैं ।

दिनांक 17-11-99

खालसा एजूकेशनल सोसाइटी,

खालसा गार्डन, नवीन नगर, सहारनपुर

वर्ष 2004-05 के पदाधिकारियों तथा सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम सदस्य	पता	पद	व्यवसाय
1.	स0 गुनीत सिंह पुत्र श्री स0 जसबीर सिंह	खालसा गार्डन, सहारनपुर	अध्यक्ष	व्यवसाय
2.	श्रीमती एस0 कौर पत्नी श्री स0 इकबाल सिंह	पटेल नगर, सहारनपुर	उपाध्यक्ष	व्यवसाय
3.	स0 आर0 एस0 गोगिया पुत्र श्री स0 मोहर सिंह	गुरुद्वारा रोड, माधो प्रसाद गली, सहारनपुर	प्रबन्धक	व्यवसाय
4.	श्री गगनदीप सिंह पुत्र श्री स0 इकबाल सिंह	खालसा गार्डन, सहारनपुर	उप प्रबन्धक	व्यवसाय
5.	श्रीमती मंजीत कौर पत्नी श्री जे0 सिंह	खालसा गार्डन, सहारनपुर	कोषाध्यक्ष	गृहिणी
6.	स0 सुन्दर सिंह पुत्र श्री स0 तेज सिंह	गुरुद्वारा रोड, निकट कांग्रेस दफ्तर, सहारनपुर	सदस्य	व्यवसाय
7.	श्री स0 एच0 एस0 बजाज पुत्र श्री एन0 एस0 बजाज	गुरुद्वारा रोड, सहारनपुर	सदस्य	व्यवसाय
8.	स0 देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री स0 सतनाम सिंह	न्यू बजाज ट्रांसपोर्ट, सहारनपुर	सदस्य	व्यवसाय
9.	स0 आर0 डी0 सिंह पुत्र श्री स0 इकबाल सिंह	पटेल नगर, सहारनपुर	सदस्य	व्यवसाय
10.	स0 अमरीक सिंह पुत्र श्री स0 मेहताब सिंह	सोढल, जालंधर	सदस्य	व्यवसाय
11.	श्रीमती सुरेन्द्र कौर पत्नी श्री स0 एम0 सिंह	सोढल, जालंधर	सदस्य	गृहिण

सत्यप्रतिलिपि सुरेन्द्र कौर Ravinder

सत्य प्रतिलिपि

gagandeep

अध्यक्ष

खालसा एजूकेशनल सोसाइटी

खालसा गार्डन, नवीन नगर, सहारनपुर

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स

सहारनपुर मण्डल सहारनपुर

03/9/09

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

भारत

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

53AA 863267

यह जनरल स्टाम्प पेपर खालसा एजूकेशनल सोसायटी खालसा गार्डन, नवीन नगर-सहारनपुर की सूची-2004-2005 की प्रतिलिपि के साथ संलग्न है जो अपंजीकृत है

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर
03-9-09

-01110